न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
92 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	05.09.2023	13.02.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री रूपेश जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन निवासी वार्ड नं. 6 नगरफोर्ट तह. नगरफोर्ट जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तह. नगरफोर्ट जिला टोंक। पिनकोड–304802 मोबाईल नं. 9602418335

2–मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तह. नगरफोर्ट जिला टोंक। पिनकोड–304802

3–श्री कमल कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जैन निवासी चारभुजा नाथ मन्दिर के पास वार्ड नं. 8 नैनवां जिला बून्दी राज. प्रोपरायटर मैसर्स कमल कुमार नरेश कुमार बस स्टैण्ड के पास नैनवां जिला बून्दी राज.। पिनकोड–304801

4–मैसर्स कमल कुमार नरेश कुमार बस स्टैण्ड के पास नैनवां जिला बून्दी राज.।

5–श्री प्रहलाद सिंह नॉमिनी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज (धौलपुर) प्रा. लि. एफ–897ए, रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013 / जी–50–57 व एफ–58–65, रीको इण्ड. एरिया, ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर राज.। पिनकोड–328001

6–मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज (धौलपुर) प्रा. लि. एफ–897ए, रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013 / जी–50–57 व एफ–58–65, रीको इण्ड. एरिया, ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर राज.। पिनकोड–328001

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री रोमेन्द्र गुर्जर उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 13/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.02.2023 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तह. नगरफोर्ट जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री रूपेश जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तह. नगरफोर्ट जिला टोंक पर खादय प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला,

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

श्री रूपेश जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रूपेश जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले के साथ–साथ दुकान में कागज के कार्टून में लगभग 20 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री रूपेश जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री रूपेश जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विकेता को बताकर कि यह **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 306 एवं पैकिंग की दिनांक नवम्बर 2022 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विकेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** 500–500 एम. एल. के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3444 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3444 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रूपेश जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन मैसर्स कमल एण्ड ब्रदर्स बस स्टैण्ड नगरफोर्ट तह. नगरफोर्ट जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स कमल कुमार नरेश कुमार बस स्टैण्ड के पास नैनवां जिला बून्दी का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. केएन0008355 दिनांक 23.12.2022 प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स कमल कुमार नरेश कुमार नैनवां से सम्पर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज (धौलपुर) प्रा. लि. एफ–897ए, रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. जी/22–23/0399/जेपी दिनांक 30.11.2022 प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/510 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं.एलएस/252/एक्ट/2023/317 दिनांक 13.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0